राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/12/21	499/2021 हनुमान मेहरिया / कमलेश 1	

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी, जिसके पश्चात अधिवक्ता अपीलांट ने आदेशिका दिनांक 26/10/2021 की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आ गयी है, अत: आज ही बहस प्रार्थना पत्र सुनी जावे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी | अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उसमे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अप्रार्थीगण कृषि आराजीयात का बिना तकासमा करवाये हस्तान्तरण/बैचान एवं निर्माण कर कृषि से अकृषि में बदलने एवं कृषि आराजीयात के स्वरूप को परिवर्तित करने एवं खुर्द-बुर्द करने पर आमदा हो गये है एवं निरन्तर उक्त कृत्य कर रहे है, इसलिये अप्रार्थीगण को बैचान एवं निर्माण नही करने एवं मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर नही कर मात्र विशिष्ट भू-भाग के बैचान नही करने हेतु उभयपक्षों को पाबन्द किया गया, जिससे अप्रार्थीगण निरन्तर निर्माण कर विवादग्रस्त भूमि के स्वरूप को बदलने हेतु स्वतन्त्र रहने से निरन्तर निर्माण कर प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद के बिन्दु उत्पन्न कर रहे है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं मौके की स्थितियों में परिवर्तन होगा | अत: अप्रार्थीगण को विवादित कृषि आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं निर्माण नही किये जाने के आदेश पारित किये जावे |

बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | प्रकरण तकासमें के वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित है, जिसमे सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विवादित भूमि के विशिष्ट भू-भाग का बैचान नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा अपील में एवं दौराने बहस फोटोग्राफ प्रस्तुत कर विवादग्रस्त भूमि पर निरन्तर निर्माण होने का तथ्य अंकित कराया गया एवं चूँकी पक्षकारान के मध्य तकासमा होना शेष है | ऐसी स्थिति में यदि विवादित भूमि पर निर्माण कर मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रकरण में नवीन विवाद उत्पन्न होना प्रथमदृष्टया जाहिर होता है, ऐसी परिस्थिति में यद्दपि इस स्तर पर यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नही कर सकता किन्तु चूँकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बैचान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

//

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	599/2021 हनुमान मेहारिया / कमलेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2 के सन्दर्भ में पाबंदी का आदेश दिया हुआ है एवं अपील के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से प्रश्नगत आराजी की नोयत तब्दील किये जाने की शंका उत्पन्न होती है। अतः दोनों पक्ष किसी प्रकार का मौके पर नवनिर्माण नही करे, के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय गौर कर प्रार्थना पत्र पर आगामी सुनवाई कर सम्बन्धित आदेश पारित करे एवं प्रार्थना पत्र का आदेश 39 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुरूप निर्देशित मियाद में निस्तारण करे। तब तक पक्षकारान के मध्य विवादों को बढने से रौकने के लिये यह उचित समझा जाता है कि दोनों पक्ष प्रश्नगत आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। तदनुसार पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/12/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	